राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जायल केम्प कोर्ट , कठौती जिला नागौर।

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना–पत्र संख्या:– 15/17 दायर दिनांक:– 14.07.2017

1– राजुराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।
2– खेमाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।
3– बिसनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1– श्रीरामाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।
2– हीराराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।
3– तोलाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बोसेरी तह.जायल जिला नागौर।
4– सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा 251 (क) RT Act.

उपस्थित अधिवक्ता :–

1 श्री मुन्नीलाल कडवासरा प्रार्थीगण की और से।
2 श्री अम्बालाल पारासर अप्रार्थी सं. 01 व 03 की और से।
3 श्री ओमप्रकाश गौदारा अप्रार्थी सं. 02 की और से।

14/5/18

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(14)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

–:: निर्णय ::–

दिनांक 14·05·2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम बोसेरी के निवासी है। ग्राम बोसेरी के खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 419/85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 420/85 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 421/85 रकबा 06 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिस में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां बनी हुई है। मौजा बोसेरी से झोरडा ग्रेवल सडक से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 247/85 में से होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में जाते हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिये सब से नजदीकी रास्ता है इस के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। हमें अपने खेत में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शा के मार्क अ से बी के अनुशार चौडाई में 15 फुट के रास्ते की खसरा नम्बर 85, 421/85, 420/85 व 419/85 में आने जाने के लिये आवश्यकता है। लेकिन उक्त भूमि में जाने के लिये राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकन नहीं होने से काश्त करने व रहवासी ढाणियों में पीने के पानी के टेंकर लाने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते बावत कहने पर मना करने पर प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस से हमें यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का तहसीलदार जायल को आदेश प्रदान करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के अन्तर्गत नये रास्ते के लिये आवेदन पेश किया जा रहा है। इस भूमि में आने–जाने के लिये मौजा बोसेरी के खसरा नम्बर 247/85 में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क अ से बी के अनुशार 15 फुट चोडा नया रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं.01 व 03 की ओर से अम्बालाल

14/5/18
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(लोक अदालत शिविर ... जायल, नागौर)

Scanned by CamScanner

पारासर ने वकालतनामा व जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्य अंकित कर पेश किया है। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिये पूर्व में रास्ता है जो खेत खसरा नम्बर 309/246 के खेत के उत्तरी माठ से खसरा नम्बर 420/85 से आते जाते है। प्रार्थीगण के पिता पदमाराम के समय से ही प्रार्थीगण के पिता तुलछाराम के समय से ही अपने – अपने खेतों का बंटवारा जब किया था तब से ही प्रार्थीगण ग्राम बोसेरी से झोरडा ग्रेवल सडक से खेत खसरा नम्बर 309/46 के उत्तरी माठ से अपने खेतों में जाते है। प्रार्थीगण जानबुझ करके अप्रार्थीगण से द्वेषतापूर्ण अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थना पत्र के साथ रफ नजरी नक्शा पेश किया गया है उक्त नजरी नक्शा में ढाणी का कोई मार्क नहीं है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण के खेतों से होकर के अपने खेतों में आवागमन नहीं किया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। अप्रार्थी सं. 02 की ओंर से ओमप्रकाश गौदारा ने ईकबाली जबाव पेश कर रास्ता नजरी नक्शा के अनुशार देने के लिये सहमति जाहिर की।

प्रकरण में तहसीलदार जायल से जॉच रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार जायल ने पत्र क्रमांक/भू.अ./2018/323 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। तहसीलदार जायल ने अपनी रिपोर्ट पेशकर न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी को मौजा बोसेरी के खेत खसरा नम्बर 247/85 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा किस्म बा.2 में से नजरी नक्शा के मार्क अ से बी तक 15 फुट चोडा रास्ता दिया जाना उचित है जिस का रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा बनता है तथा डी.एल.सी रेट से 141900 रू. राशि बनती है खेत खसरा नम्बर 247/85 प्रार्थी के खेत खसर नम्बर 419/85, 420/85, 421/85 व 85 के चिपता ही खेत है इसलिये रास्ता देने की अभिशंषा की जाती है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही तथा उन्होंने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र को गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

लोक अदालत शिविर ... नागौर

14/5/18
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा बोसेरी के खसरा नम्बर 247/85 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा किस्म बा.2 में से रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा माफिक नजरी नक्शा के मार्क अ से बी के अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि प्रार्थीगण से जमा लेकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा प्रार्थीगण से ली जाने वाली राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 01 से 03 को बराबर हिस्से में करें। तहसीलदार जायल को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत ... नागौर

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 14.05.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/5/18
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner